



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012021-224624
CG-DL-E-21012021-224624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2021/माघ 1, 1942

No. 284]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2021/MAGHA 1, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2021

का.आ. 315(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2261(अ), दिनांक 7 जुलाई, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के नगरकुरनूल जिले में NH-167 के कि.मी. 42.00 से कि.मी.50.000 जड़चेर्ला-कलवाकुरती सेक्शन (भूतपूर्व SH-18) रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर, कलवाकुरती डिवीज़न तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ी करण/पेव्ड शोल्डर सहित लघु और प्रमुख पुल आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "15-08-2020" को "द हिन्दू" (अंग्रेजी) और "नमस्ते तेलंगाना" (तेलुगु) दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य के नगरकुरनूल जिले में NH167 (भूतपूर्व SH-18) के कि.मी. 42.00 से कि.मी.50.000 तक (जड़चेर्ला-कलवाकुरती सेक्शन) रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर कलवाकुरती डिवीज़न, नगरकुरनूल डिस्ट्रिक्ट के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: तेलंगाना		जिले का नाम: नगरकुरनूल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: उरकोंडा				
	गांव का नाम: उरकोंडा				
1	241	निजी	ड्राई (एग्रीकल्चर)	0.0101175	श्री गाजुला तिरुपतइया सन ऑफ़ गंगय्या, २४१/१/२ ()
2	241	निजी	ड्राई (एग्रीकल्चर)	0.0101175	श्री गाजुला रामचन्द्रय्या सन ऑफ़ गंगय्या, २४१/१/२ ()
3	241	निजी	ड्राई (एग्रीकल्चर)	0.0101175	श्री गाजुला विश्वनाथम सन ऑफ़ गंगय्या, २४१/१/२ ()
4	241	निजी	ड्राई (एग्रीकल्चर)	0.0101175	श्री गाजुला श्रीहरि सन ऑफ़ गंगय्या, २४१/१/२ ()
5	241	निजी	ड्राई (एग्रीकल्चर)	0.0101175	श्री गाजुला नरहरि सन ऑफ़ गंगय्या, २४१/१/२ ()
6	241	निजी	ड्राई (एग्रीकल्चर)	0.0101175	श्री गाजुला सलेश्वरम सन ऑफ़ गंगय्या ()
7	241	निजी	ड्राई (एग्रीकल्चर)	0.0101175	श्री गाजुला श्रीधर सन ऑफ़ गंगय्या, २४१/१/२ ()

8	241	निजी	ड्राई (एग्रीकल्चर)	0.0101175	श्रीमती पद्मा वाइफ ऑफ मुरहरि, २४१/१/२ ()
9	251	निजी	ड्राई (एग्रीकल्चर)	0.0910575	श्री त्रिपिरि राजू सन ऑफ चंद्रय्या, २५१/२ ()
			कुल	0.172	

[फा. सं. RW/NH-12014/99/2016-TS/-7/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2021

S.O. 315 (E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2261(E), dated on 7th July, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for widening, strengthening, construction of Minor & Major Bridges on NH-167 on the stretch of land from Km 42.00 to Km 50.000 of **Jadcherla-Kalwakurthy Section (erstwhile SH-18)** REVENUE DIVISIONAL OFFICER KALWAKURTHY DIVISION in the district of NAGARKURNOOL in the state of TELANGANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*The Hindu*” (English) and “*Namasthe Telangana*” (Telugu) daily newspaper both dated 15-08-2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH167 in the stretch of land from KM 42.000 to KM 50.000 of Jadcherla-Kalwakurthy Section (erstwhile SH-18) (REVENUE DIVISIONAL OFFICER KALWAKURTHY DIVISION) in the district of NAGARKURNOOL in the State of TELANGANA.

State: TELANGANA			District: NAGARKURNOOL		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Urkonda				
	Village: Urkonda				
1	241	Private	Dry (Agriculture)	0.0101175	Sri Gajula Tirupataiah son of Gangaiah, 241/1/2
2	241	Private	Dry (Agriculture)	0.0101175	Sri Gajula Ramchandraiah son of Gangaiah, 241/1/2

3	241	Private	Dry (Agriculture)	0.0101175	Sri Gajula Vishwanatham son of Gangaiah,241/1/2
4	241	Private	Dry (Agriculture)	0.0101175	Sri Gajula Srihari son of Gangaiah, 241/1/2
5	241	Private	Dry (Agriculture)	0.0101175	Sri Gajula Narahari son of Gangaiah, 241/1/2
6	241	Private	Dry (Agriculture)	0.0101175	Sri Gajula Saleshwaram son of Gangaiah
7	241	Private	Dry (Agriculture)	0.0101175	Sri Gajula Sridhar son of Gangaiah, 241/1/2
8	241	Private	Dry (Agriculture)	0.0101175	Smt Padma wife of Murahari,241/1/2
9	251	Private	Dry (Agriculture)	0.0910575	Sri Chipiri Raju son of Chandraiah,251/2
			TOTAL	0.1719975	

[F. No. RW/NH-12014/99/2016-TS/-7/3D]

RAJESH GUPTA, Director